

वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव
(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)

109

भाग - 2

(संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या

7.	परियोजना /स्कीम का स्थान	ग्राम बिरनासिल्ली सी.आर.पी.एफ. कैम्प के पास बालका नदी पर उच्च स्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण।
(i)	राज्य/ संघ शासित क्षेत्र	छत्तीसगढ़
(ii)	जिला	धमतरी जिला
(iii)	वन प्रभाग	उदंती-सीतानदी टायगर रिजर्व गरियाबंद
(iv)	वनेत्तर प्रयोग के लिये प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हेक्टेयर)	उदंती-सीतानदी टायगर रिजर्व गरियाबंद के अधीनस्थ कुल आवेदित वनभूमि - 0.828 हे.
(v)	वन कानूनी स्थिति	आरक्षित वनभूमि - 0.828 हे.
(vi)	हरियाली का घनत्व	0.4 - 0.6
(vii)	प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाये) सिचाई/जलीय परियोजनाओं के संबंध में एफ.आर.एल.,एफ. एफ. आर. एल.-2 मी. पर परिगणना और एफ. आर.एल. 4 मी. भी संलग्न किये जाये।	आवश्यकता नहीं है।
(viii)	भू-क्षरण के लिये वनक्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी।	भू-क्षरण के लिए वन भूमि की संवेदनशीलता सामान्य हैं। भू-क्षरण की स्थिति निर्मित नहीं होगी अतः उक्त भूमि परियोजना हेतु दिया जा सकता है।
(ix)	वनेत्तर प्रयोग के लिये प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी।	उच्च स्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण वनक्षेत्र की सीमा के भीतर है।
(x)	क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण, जैवमंडल रिजर्व, बाघ रिजर्व हाथी, कोरीडोर, आदि का भाग है। (यदि हां, क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्यजीव वार्डन की टिप्पणियां अनुबंधित की जाये)	हाँ! आवेदित क्षेत्र उदंती-सीतानदी टायगर रिजर्व गरियाबंद कोर जोन-02 (सीतानदी, अरसीकन्हार एवं रिसगांव अभ्यारण्य क्षेत्र) का भाग हैं, जिसमें सीतानदी अभ्यारण के आरक्षित वन कक्ष क्र. 351 एवं 353 कुल रकबा 0.828 हेक्ट. में बालका नदी पर उच्च स्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग का निर्माण कार्य किया जाना है।
(xi)	क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणीजात की दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियां पाई जाती है यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा दें।	नहीं हैं।

(xii)	क्या कोई सुरक्षित पुरातवीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है। यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो दें।	नहीं हैं।
8.	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग -1 कालम 2 में प्रस्तावित वनभूमि की आवश्यकता परियोजना के लिये अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नहीं तो, जांचे गये विकल्पों के ब्यौरों सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो, दे।	प्रयोक्त एजेंसी द्वारा भाग - 1 कॉलम 2 में प्रस्तावित वन भूमि की मांग अपरिहार्य और न्यूनतम हैं।
9.	क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है। (हां/नहीं) यदि हां तो कार्य की अवधि दोषी अधिकारियों पर की गई कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दें, क्या उल्लंघन संबंधी कार्य अभी चल रहें हैं।	अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य नहीं किया गया है।
10.	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा	संलग्न है। पेज क्रमांक 71-95
	(i) प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवक्रमित वनक्षेत्र आसपास के वन से इसकी दूरी, भू-खण्डों की संख्या प्रत्येक भू-खण्ड का आकार	संलग्न है। पेज क्रमांक 82-83
	(ii) प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित वनेत्तर /अवक्रमित वनक्षेत्र और आस पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप	संलग्न है। पेज क्रमांक 84
	(iii) रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यन्वयन एजेंसी समय अनुसूची लागत ढाँचा आदि	संलग्न है। पेज क्रमांक 72-78
	(iv) प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिये कुल वित्तीय परिव्यय	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम कुल वित्तीय परिव्यय राशि रुपये 6,24,421/- (छः लाख चौबीस हजार चार सौ इक्कीस रुपये)
	(v) प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबंधकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र (संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षर किया जाये)	संलग्न है। पेज क्रमांक 96
11.	जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपयुक्त कालम 7 (xi, xii), 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुये (संलग्न करें)	संलग्न है। पेज क्रमांक 113-114
12.	विभाग/जिला प्रोफाईल	

110

	(i) जिले का भौगोलिक क्षेत्र	धमतरी जिला का भौगोलिक क्षेत्र – 4081.93 वर्ग किलो मीटर
	(ii) जिले का वन क्षेत्र	धमतरी जिला का वन क्षेत्र– 2135.54 वर्ग किलो मीटर
	(iii) मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र	उदंती सीतानदी टायगर रिजर्व गरियाबंद अंतर्गत :- 1. भारत संचार निगम लिमिटेड – 2.780 हेक्टेयर (तत्कालिन वनमण्डल उदंती वनमण्डल गरियाबंद) 2. रिलाईस टेलिकॉम – 1.000 हेक्टेयर (तत्कालिन वनमण्डल उदंती वनमण्डल गरियाबंद) 3. रिलाईस टेलिकॉम (कोर-I उदंती अभ्यारण्य अंतर्गत) – 0.51 हेक्टेयर (तत्कालिन वनमण्डल उदंती वनमण्डल गरियाबंद) 4. 132 के.व्ही. नगरी से इंदागांव (प्रथम चरण स्वीकृत लिनियर प्रोजेक्ट) –15.150 हेक्टेयर कुल 04 प्रकरण – 19.440 हेक्टेयर
	(iv) 1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक: (क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि। (ख) वनेत्तर भूमि पर	0.00 हेक्टेयर 0.00 हेक्टेयर
	(v) वर्ष 2019–2020 तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति : (क) वन भूमि। (ख) वनेत्तर भूमि पर।	0.00 हेक्टेयर 0.00 हेक्टेयर

	(vi) प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव अन्यथा लेने के संबंध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश।	उदंती-सीतानदी टायगर रिजर्व गरियाबंद कोर जोन-02 (सीतानदी, अरसीकन्हार एवं रिसगांव अभ्यारण्य क्षेत्र) का भाग हैं, जिसमें सीतानदी अभ्यारण के आरक्षित वन कक्ष क्र. 351 एवं 353 कुल रकबा 0.828 हेक्ट. में बालका नदी पर उच्च स्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग का निर्माण कार्य किया जाना है। उच्च स्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण हेतु प्रभावित वनभूमि कुल रकबा 0.828 हेक्टेयर के व्यपवर्तन हेतु अनुशंसा की जाती है।
--	--	--

दिनांक - 23/05/2022

स्थान - गरियाबंद, (छत्तीसगढ़).

वरुण जैन (भा.व.से.)

उपनिदेशक

उदंती सीतानदी टायगर रिजर्व
गरियाबंद (छत्तीसगढ़).